Volume-11 July - Sept., 2012

Rajasthan Police Academy

News Letter

इस अंक में ...

- अकादमी ने मनाया स्वाधीनता दिवस
- उप अधीक्षक एवं उप निरीक्षकों की पासिंग आउट परेड
- अकादमी में बेहतरीन कार्य प्रबन्धन : प्रयास और प्रभाव
- भ्रष्टाचार और लोक चरित्र
- एनडीपीएस के महत्वपूर्ण प्रावधान एवं क्रियाविधि

निदेशक की कलम से ...

प्रदेश के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में उनकी क्षमता से अधिक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। आरक्षी के दस हजार पदों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने वाली है। अन्य पदों में भी पदोन्नति द्वारा रिक्त पद भरे जाने पर प्रमोशन काडर कोर्स चलाये जायेंगे। इस प्रकार निकट भविष्य में राजस्थान पुलिस अकादमी एवं सभी पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण का अत्यधिक दबाव रहने वाला है। अतः भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी प्रशिक्षण केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के प्रयास किये जा रहे हैं। राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण ब्लॉक में छः अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। बनास हॉस्टल के सामने एक बड़े मैस भवन का निर्माण करवाया जा चुका है, जिसमें एक समय में लगभग पाँच सौ प्रशिक्षु खाना खा सकते हैं। जिमनेजियम भवन में सुधार एवं रिपेयर लगभग पूर्ण है। अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के प्रयास भी किये जा रहे हैं, ताकि भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

अकादमी का प्रयास प्रशिक्षण व अन्य गतिविधियों में गुणवत्ता में सुधार करने का रहा है। वर्षभर चलने वाली गतिविधियों में आवश्यकतानुसार प्रशिक्षुओं को भी कार्य दिया जाता है ताकि उनमें नेतृत्व एवं जिम्मेदारी की भावना का विकास हो सके। विशेष प्रशिक्षणों में प्रतिभागियों से प्राप्त फीड बैक के आधार पर ही फैकल्टी का चयन किया जाता है। महत्त्वपूर्ण वर्कशॉप, सेमीनार एवं प्रशिक्षणों में प्रबुद्ध विशेषज्ञों को बुलाया जाकर अधिकारी स्तर के प्रशिक्षुओं की भी आवश्यकतानुसार भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। अकादमी को बेहत्तर बनाने के प्रयास में देश एवं प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के सुझावों को भी तरजीह दी जाती है।

अकादमी में धुम्रपान निषेध पूर्णतया लागू करने के पश्चात् हैल्थ रिसोर्स एवं हैल्प लाईन के माध्यम से पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के समाधान हेतु भी प्रयास किये जा रहे हैं।

भूपेन्द्र सिंह
निदेशक

उप अधीक्षक एवं उप निरीक्षकों की पासिंग आउट परेड

राजस्थान पुलिस अकादमी में आरपीएस प्रशिक्षुओं के 45 वें बैच एवं उप निरीक्षक प्रशिक्षुओं के 37 वें बैच की दीक्षान्त परेड का आयोजन दिनांक 12.09.2012 को किया गया। परेड की सलामी श्री हरीशचन्द्र मीना, महानिदेशक पुलिस द्वारा ली गई। इस अवसर पर समारोह को भव्यता प्रदान करने के लिए सम्पूर्ण अकादमी परिसर एवं परेड ग्राउण्ड में शानदार सजावट की गई। परेड ग्राउण्ड में अधिकारियों एवं अतिथिगण के बैठने की व्यवस्था की गई। परेड के लिए हमेशा की भांति कृत्रिम किले का निर्माण किया जाकर होर्डिंग्स एवं गमलों आदि से सम्पूर्ण ग्राउण्ड को सजाया गया। जगह–जगह रंगोलियाँ एवं फूलों की सजावट की गई। इस अवसर पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, सेवानिवृत अधिकारी, प्रशिक्षुओं के परिजन, रिश्तेदार, मेहमान तथा मीडियाकर्मी समारोह में उपस्थित थे। प्रशिक्षणार्थियों के विभिन्न इवेन्ट्स की फोटो गैलेरी भी मनु सदन में सजाई गई।

प्रातः 08:00 बजे मुख्य अतिथि महोदय के आगमन पर श्री भूपेन्द्र सिंह, निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा स्वागत किया गया तत्पश्चात् मंच आगमन पर दीक्षान्त परेड द्वारा सलामी दी गई। परेड कमाण्डर श्री दुर्गसिंह द्वारा मुख्य अतिथि को परेड निरीक्षण का आमंत्रण दिये जाने के उपरान्त महानिदेशक महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। परेड निरीक्षण के पश्चात् राष्ट्रीय ध्वज एवं पुलिस पार्टी का ग्राउण्ड पर आगमन हुआ तथा परेड द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अभिवादन किया गया। तत्पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों द्वारा देश के संविधान तथा कानून द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं विश्वास का परिचय देने तथा एक लोकसेवक के रुप में नागरिकों के प्रति सद्व्यवहार एवं उनके जीवन व सम्पति की सुरक्षा के प्रति निष्पक्ष एवं समर्पित भाव से कार्य करने की शपथ ग्रहण की गई। इसके पश्चात् शस्त्र शपथ ली गई। परेड द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के अभिवादन के पश्चात् राष्ट्रीय ध्वज व पुलिस कलर पार्टी ने परेड ग्राउण्ड से प्रस्थान किया। श्री दुर्ग सिंह के नेतृत्व में दीक्षान्त परेड मंच से गुजरी तो सभी उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मेहमानों द्वारा परेड का करतल ध्वनि से उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर महानिदेशक पुलिस श्री हरिश्चन्द्र मीना ने राजस्थान पुलिस में शामिल होने वाले नव उप अधीक्षकों एवं उप निरीक्षकों को बधाई देते हुए उन्हें निष्पक्षता एवं कर्त्तव्य परायणता से अपने कार्य को अंजाम देने का आह्वान किया। उन्होंने इस अवसर पर पुलिस की प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कानून की सीमाओं में रहकर निडरता से कार्य करने का भी आह्वान किया।

इस अवसर पर प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया गया। श्री दुर्गसिंह राजपुरोहित को समस्त प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए स्वार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। हरिप्रसाद को इण्डोर में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मेडल मय प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। उप निरीक्षकों में श्री गजराज को आउटडोर, फायरिंग एवं ऑलराउण्ड में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए तथा इण्डोर में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए श्री जयकिशन सोनी को मेडल मय प्रशंसा पत्र प्रदान किये गये। इस अवसर पर अकादमी के निदेशक श्री भूपेन्द्र सिंह द्वारा अकादमी का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। समारोह के अन्त में अल्पाहार का आयोजन किया गया।

अकादमी ने मनाया स्वाधीनता दिवस

राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वाधीनता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। बारिश की फुहारों के बीच अकादमी के प्रशिक्षुओं एवं स्टाफ में इस पावन दिवस की खुशी स्पष्ट झलक रही थी। अकादमी के स्टेडियम को इस अवसर पर विशेष रुप से सजाया गया था। अकादमी के ऑडिटोरियम, मनुसदन एवं अन्य भवनों पर भी शानदार सजावट की गई तथा हॉस्टल्स के सम्मुख रंगोली बनाई गई। राष्ट्रीय ध्वज श्री भूपेन्द्र सिंह निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा फहराया गया। इस अवसर पर डॉ0 बी. एल. मीणा उप निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के अलावा श्री हिंगलाज दान भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, सभी सहायक निदेशक, अधिकारी, कर्मचारी एवं विभिन्न स्तर के पुलिस प्रशिक्षु समारोह स्थल पर उपस्थित थे। इस अवसर पर निदेशक अकादमी ने अपने उद्बोधन में इस समारोह को अब तक का सबसे व्यवस्थित समारोह बताया तथा अकादमी स्टॉफ को इसके लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि अकादमी के सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी क्षमता के अनुसार बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। उन्होंने दूसरे विभागों से आये हुए कर्मचारियों की सेवाओं की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि समाज में पुलिस की भूमिका के सम्बन्ध में भ्रान्तियां बनी हुई हैं, लेकिन राष्ट्र निर्माण में पुलिस की महत्ती भूमिका है। प्रजातंत्र में पुलिस द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये जाते हैं अतः पुलिस के महत्व को कम करके नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि– ''प्रजातंत्र का विकास तभी सम्भव है जब समाज में सभी लोग अपने व्यवहार को प्रजातंत्र के अनुरुप बनायें। आज समाज में लोगों की प्रतिक्रिया प्रजातंत्र के अनुरुप नहीं होने के कारण कुछ नये प्रशिक्षुओं में पुलिस सेवा के प्रति हताशा के भाव जागृत होने लगते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने से ही देश को विकास के पथ पर ले जाया जा सकता है।'' इस अवसर पर उन्होंने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं प्रशिक्षुओं से अकादमी को देश की सर्वश्रेष्ठ अकादमी बनाने में पूर्ण लगन एवं मेहनत से कार्य करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर अकादमी के उन अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया जिन्हें वर्ष 2012 में सर्वोत्तम सेवा चिन्ह, अति उत्तम सेवा चिन्ह और उत्तम सेवा चिन्ह प्रदान किये गये। सर्वोत्तम सेवा चिन्ह प्राप्त करने वालों में सर्वश्री किशोर सिंह हैड कॉनिस्टेबल, बलबीर सिंह हैड

कॉनिस्टेबल, भगत सिंह हैड कॉनिस्टेबल, लल्लूराम कॉनिस्टेबल, अति उत्तम सेवा चिन्ह प्राप्त करने वालों में सर्वश्री राधेश्याम हैड कॉनिस्टेबल, धर्मपाल कॉनिस्टेबल, प्रहलाद कुमार हैड कॉनिस्टेबल, रमेश चन्द हैड कॉनिस्टेबल रामनारायण कॉनिस्टेबल, सत्यवीर सिंह कॉनिस्टेबल तथा उत्तम सेवा चिन्ह प्राप्त करने वालों में सर्वश्री हजारी लाल खटाणा, उप निरीक्षक, पूनम शर्मा कॉनिस्टेबल, राम कुमार कॉनिस्टेबल, विनोद कुमार कॉनिस्टेबल, मुकेश कुमार कॉनिस्टेबल, रामपाल कॉनिस्टेबल, सतवीर सिंह कॉनिस्टेबल, मदन लाल कॉनिस्टेबल, रामस्वरुप कॉनिस्टेबल थे।

इस अवसर पर अकादमी में विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। स्वाधीनता दिवस पर सम्मानित होने वालों में डॉ0 रुपा मंगलानी सहायक प्रोफेसर, सर्वश्री ओमप्रकाश पुलिस निरीक्षक, रणवीर सिंह कम्पनी कमाण्डर, संजीव कुमार कम्पनी कमाण्डर, ज्ञानचन्द कम्पनी कमाण्डर, करण सिंह उप निरीक्षक, विनोद कुमार उप निरीक्षक, कमल सिंह हैड कॉनिस्टेबल, प्रहलाद कुमार हैड कॉनिस्टेबल, राजेन्द्र सिंह हैड कॉनिस्टेबल, कुरड़ाराम हैड कॉनिस्टेबल, देवीसहाय कॉनिस्टेबल, विनोद कुमार कॉनिस्टेबल, कुन्दन सिंह कॉनिस्टेबल, प्रताप सिंह कानिस्टेबल, सम्पत सिंह कॉनिस्टेबल, महेन्द्र सिंह कॉनिस्टेबल, मुकेश कॉनिस्टेबल व श्रीमती कौशल्या देवी कॉनिस्टेबल को प्रशंसा पत्र मय 500 रुपये नकद ईनाम प्रदान किया गया।

मंत्रालयिक कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया जिनमें सर्वश्री सुभाष चन्द, वरिष्ठ लिपिक को प्रशिक्षण शाखा में प्रबन्धन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, गजेन्द्र सिंह कनिष्ठ लिपिक को उप निदेशक एवं प्राचार्य के निजी सहायक के रूप में कार्य के लिए, गणेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को लेखा शाखा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, मिथलेश कुक मनु सदन में रसोई व्यवस्था के लिए, छोटी लाल स्वीपर को परिसर में सफाई व्यवस्था के लिए, बोदूराम बागवान को परिसर में बागवानी के कार्य के लिए, पवन कुमार फर्राश को कार्यालय में सफाई व्यवस्था के लिए, राम किशन सईस को रिसाला में घोड़ों की देखरेख के लिए, भूर सिंह सईस को रिसाला में घोड़ों की देखरेख के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। मनुसदन में भी मैस में काम करने वाले स्थाई कर्मचारियों को पांच सौ रुपये तथा अस्थाई कर्मचारियों को दो सौ पचास रुपये नकद ईनाम स्वरुप दिये गये।

उप अधीक्षकों के सम्मान में भोज

राजस्थान पुलिस अकादमी में आधारभूत प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके उप अधीक्षक पुलिस के 45 वें बैच के अधिकारियों के सम्मान में निदेशक महोदय द्वारा भोज का आयोजन दिनांक 08.09.2012 को सांय 08:00 बजे मनु सदन में किया गया। इस भोज में पुलिस उप अधीक्षकों के 44 वें एवं 46 वें बैच के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया। आमंत्रित अधिकारियों में श्री एम.एल. कुमावत पूर्व अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं सेवानिवृत महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल भी थे। इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया। पुलिस मुख्यालय से श्री आर.एस. ढ़िल्लो, श्री हेमन्त पुरोहित एवं श्री नवदीप सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भी भोज में सम्मिलित हुए। अन्य आमंत्रितगण में भारतीय पुलिस सेवा के 63वें बैच के अधिकारियों के अतिरिक्त श्री शंकर दत्त, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डॉ. लोकेश चतुर्वेदी भी शामिल थे। इस अवसर पर प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारियों को श्री एम.एल. कुमावत एवं अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से विभिन्न मसलों पर खुलकर विचार–विमर्श हुआ। 44 वें बैच के

प्रशिक्षु उप अधीक्षकों ने फील्ड ट्रेनिंग के दौरान अपने अनुभव भी 45 वें बैच के साथ साझा किये तथा फील्ड ट्रेनिंग के दौरान ध्यान रखने वाली बातों पर उन्हें हिदायतें प्रदान की। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा भी 45 वें बैच के अधिकारियों के आधारभूत प्रशिक्षण के सम्बन्ध में उनके विचार जाने तथा पुलिस सेवा से जुड़ी अनेक महत्त्वपूर्ण बातों पर अपने अनुभव बताये। इस अवसर पर अकादमी के उप अधीक्षक एवं इससे वरिष्ठ क्रम के सभी अधिकारी उपस्थित थे। अकादमी के निदेशक श्री भूपेन्द्र सिंह ने श्री एम.एल. कुमावत एवं अन्य अधिकारियों का भोज में पधारने पर स्वागत किया।

फुटबॉल मैच में जोश पर अनुभव की जीत

स्वाधीनता दिवस पर राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रतिवर्ष क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाता रहा है। इस बार क्रिकेट के स्थान पर पुलिस अकादमी स्टाफ एवं प्रशिक्षुओं के बीच फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। अकादमी की टीम के कप्तान श्री राजेन्द्र चौधरी, निरीक्षक पुलिस थे तो प्रशिक्षुओं का नेतृत्व श्री भोपाल सिंह, उपअधीक्षक प्रशिक्षु ने किया। मैच शुरु होने से पूर्व बारिश की फुहारें थम चुकी थी। मौसम खेल के अनुकूल होने के कारण मैच में खेलने वालों की फुर्ती और जोश दुगुना हो चुका था। मैच का शुभारम्भ अकादमी के निदेशक श्री भूपेन्द्र सिंह द्वारा किया गया। दोनों ही टीमें अपना दमखम दिखाने को तत्पर थी। मैच शुरु हुये सात मिनट हुए थे कि स्टाफ टीम को ग्राउण्ड के मध्य से पेनल्टी शूट आउट मिला। श्री राजेन्द्र चौधरी ने पेनल्टी किक मारकर बॉल सीधे श्री राजेश ढ़ाका के पास पहुँचाई। श्री राजेश ने कोई चूक नहीं की और एक शानदार किक से बॉल सीधे गोलपोस्ट में पहुँचा दी। इस गोल के पश्चात् प्रशिक्षु टीम ने सम्भलने का प्रयास किया परन्तु अगले तीन मिनट बाद श्री राजेश ढ़ाका ने दूसरा गोल प्रशिक्षु टीम के गोल पोस्ट में दाग दिया। ऐसे लगने लगा था जैसे प्रशिक्षुओं की टीम को स्टाफ टीम बहुत अन्तर से हराने वाली है। उस वक्त प्रशिक्षु टीम के श्री विजय ने अपने खेल का कौशल दिखाना शुरु किया तथा स्टाफ टीम के विरुद्ध निरन्तर कई हमले किये। स्टाफ टीम के गोल कीपर श्री सत्यवीर ने एक के बाद एक कई गोल बचाये परन्तु एक बार जब स्टाफ टीम की रक्षक पंक्ति के सबसे विश्वसनीय खिलाड़ी श्री रोहिताश और राजेन्द्र चौधरी जब आक्रमण करते हुए आगे बढ़ गये तो अचानक हमला कर प्रशिक्षु टीम ने एक गोल कर मुकाबला दो–एक पर कर दिया। प्रशिक्षुओं की टीम को कई अवसर एवं पेनल्टी कोर्नर मिले परन्तु रोहिताश बैक एवं सत्यवीर गोल कीपर की दीवार को भेद पाने में विफल रही। पूर्वाध में मैच में स्टाफ की तरफ से डॉ. बी.एल. मीणा ने भी कई आक्रमण प्रशिक्षु टीम के विफल किये। पूर्वाध के पश्चात् डॉ. बी.एल. मीणा के स्थान पर श्री ज्ञानचन्द्र सहायक निदेशक ने उनका स्थान लिया। स्टाफ की तरफ से राजेश ढ़ाका के अतिरिक्त श्री रजवन्त हैड कॉनिस्टेबल ने भी कई शानदार आक्रमण किये तथा प्रशिक्षुओं की टीम को बहुत छकाया। उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षु टीम के श्री विजय संतोष ट्रॉफी में खेल चुके हैं। मैच के दौरान अकादमी के समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं प्रशिक्षु स्टेडियम की दर्शक दीर्घा से खिलाड़ियों का उत्साहवर्द्धन कर रहे थे। मैच के दौरान की गई रोचक कमेन्ट्री से भी दर्शको का खूब मनोरंजन हुआ। फुटबाल मैच का रोमांच सभी के जहन पर ऐसा नक्श हुआ कि कई दिन तक उस पर चर्चा होती रही।

श्री कमल सिंह को पुलिस पदक

राजस्थान पुलिस अकादमी में पदस्थापित श्री कमल सिंह गुर्जर, मुख्य आरक्षक को स्वाधीनता दिवस पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। श्री कमल सिंह ने राजस्थान सशस्त्र दल की दसवीं बटालियन में अलीगढ़ से आरक्षक के रूप में अपनी सेवाएं शुरु की थी। पुलिस में आने के पश्चात् कमल सिंह ने अत्यधिक लगन एवं निष्ठा से कार्य करते हुए विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। दसवीं बटालियन इंडिया रिजर्व होने के कारण कमल सिंह को उत्तरप्रदेश, दिल्ली, पंजाब, चण्डीगढ़, आसाम एवं पाकिस्तान के बॉर्डर पर अपनी सेवाएं देने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री कमल सिंह ने अत्यन्त दुर्गम एवं गंभीर खतरे के स्थानों पर घुसपैठियों की रोकथाम, दस्यु एवं तस्करों पर नियंत्रण जैसे कार्यों को बहादुरी से अंजाम दिया।

कमल सिंह की अध्ययन में भी अत्यधिक रुचि है तथा उन्होंने सेवा में रहते हुए राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन एवं समाजशास्त्र में स्नातकोत्तकर की डिग्री प्राप्त की है। श्री कमल ने विधि स्नात्तक के साथ ही कम्प्यूटर शिक्षा में (ADST) 'ए' लेवल कम्प्यूटर कोर्स एवं सर्टिफिकेट इन कम्प्यूटिंग इंदिरा गाँधी ऑपन यूनिवर्सिटी से प्रथम श्रेणी में प्राप्त किया है। शिक्षा में गहन रुचि होने के कारण ही उन्होंने पुलिस अध्ययन में स्नातकोत्तर डिग्री के लिए अपना अध्ययन जारी रखा हुआ है। श्री कमल ने महानिरीक्षक पुलिस रेलवे के कार्यालय में कार्य करते हुए जी.आर.पी. क्षेत्र के अपराधियों की सचित्र विवरणिका संकलित की जिसके कारण कई कुख्यात अपराधियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। इन प्रयासों के कारण ही रेल्वे के क्षेत्र में राजस्थान को द्वितीय सुरक्षित क्षेत्र का दर्जा अखिल भारतीय आंकलन में प्राप्त हुआ। श्री कमल ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों में भी अपनी सेवाएं प्रदान की एवं अतिमहत्वपूर्ण मामलों में महत्ती भूमिका का निर्वाह किया। श्री कमल की सेवाएं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण के कार्यालय में भी रही है, जहां स्थायी आदेशों के कम्पोडियम तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महानिदेशक नागरिक सुरक्षा एवं सिविल डिफेन्स, राज0 जयपुर के कार्यालय में भी श्री कमल ने सौंपे गए दायित्वों का पूर्ण कर्त्तव्यनिष्ठा से निर्वहन किया। विधि शाखा में रिट्स एवं अपील, विधानसभा एवं लोकसभा ड्यूटी, अजमेर दरगाह एवं विभिन्न कानून व्यवस्था की ड्यूटियों में कमल द्वारा हमेशा अपनी छाप छोड़ी गई।

श्री कमल वर्तमान में राजस्थान पुलिस अकादमी के सेन्टर फॉर डवलपमेंट ऑफ साइन्स एण्ड मैनेजमेन्ट में कार्यरत है। अकादमी में रहते हुए सेन्टर फोर सॉशल डिफेन्स एण्ड जेण्डर स्टडीज, विभिन्न प्रशिक्षणों में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। सराहनीय कार्यों के परिणाम स्वरुप श्री कमल को अपनी सेवा में 85 नकद पुरस्कार मय प्रशंसा पत्र के साथ ही उत्तम सेवा चिन्ह, अत्ति उत्तम सेवा और सर्वोत्तम सेवा चिन्ह प्राप्त हो चुके हैं।

श्री सत्यमणि तिवाड़ी को सेवा निवृति पर विदाई

अकादमी में पदस्थापित श्री सत्यमणि तिवाड़ी उप अधीक्षक पुलिस ने स्वेच्छा सेवा निवृति चाही थी जिसे राज्य सरकार द्वारा मंजूर किये जाने पर उन्हें 01.08.2012 को सेवा निवृत किया गया। श्री तिवाड़ी को अकादमी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मनु सदन में भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर श्री सत्यमणि तिवाड़ी की धर्म पत्नी भी उपस्थित थी।

राजस्थान पुलिस अकादमी में बेहतरीन कार्य प्रबन्धन : प्रयास और प्रभाव।

डा0 रूपा मंगलानी

सफल संस्थान हमेशा अपनी क्षमताओं का विस्तार करता चलता है। संस्थानों को हमेशा समय के साथ चलना चाहिए। परिस्थितियाँ हमेशा बदलती रहती हैं, यदि संस्थान परिवर्तन के साथ कदम मिला कर चलें तो अपनी प्रगति का रास्ता सरलता से तय कर पाते हैं।

जिन संस्थाओं/संगठनों में हर स्तर पर कार्यों के उद्देश्यों की स्पष्टता हो, कार्य करने के सुविधाजनक–स्वतः गतिमान तौर तरीके हो और हर दिन उनका पालन किए जाने की आदत हो, उपलब्ध संसाधनों का बेहतरीन उपयोग हो–वे संस्थाऐं या संगठन न केवल संगठित, व्यवस्थित दक्ष रहते हुए अपने तय किये गये उद्देश्यों तक आसानी से पहुँच सकते हैं, बल्कि अव्यवस्थित माहौल, अनावश्यक टकराव, बकाया काम के बोझ और असफलताओं से मुक्त रहते हैं। उत्कृष्टता का दर्जा प्राप्त संगठन अपने लिए एक क्वालिटी मैनेजमेन्ट प्रोसेस मॉडल यानि गुणवत्ता प्रबन्धन प्रक्रिया अपनाते हैं। जिसका ध्येय नया और बेहतर करने के अवसर को अपनाकर नियन्त्रण का दायरा (स्पेन ऑफ कन्ट्रोल) जिम्मेदारी का दायरा (स्पेन ऑफ रैसपॉन्सबिलिटी) निर्धारित करते हुए सरल और नयी कार्य प्रणालियों के अनुसार कार्य करने में माहिर होना है।

पुलिस बल को नवीन चुनौतियों का व्यावसायिक तरीके से सामना करने के लिए एवं नवाचारों को अपनाने के लिए हमेशा उत्सुक राजस्थान पुलिस अकादमी ने वर्ष 2011 में अकादमी में गुणवत्ता प्रबन्धन व्यवस्था (क्वालिटी मैनेजमेन्ट सिस्टम) अपनाने का निर्णय लिया। इसके लिए उठाए गये नियोजित कदमों और प्राप्त परिणामों को जानना न केवल रूचिकर है बल्कि यह बेहतरीन कार्य संस्कृति की कुछ सीख भी देता है।

बदलाव की दूरदर्शिता : आखिर क्यों ?

राजस्थान पुलिस अकादमी ने इस बदलाव को इसलिए अपनाया ताकि जिन उद्देश्यों के लिए इस संस्था की उत्पत्ति हुई है उन्हें सौ फीसदी सरलता से प्राप्त किया जा सके। यहॉ कार्यरत कर्मचारी श्रेष्ठ कार्यस्थितियों में अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएँ। यह बदलाव निरन्तर उत्कृष्टता लाने के लिए था। मुख्यतः मौजूदा को बेहतर बनाने की इच्छा, व्यावहारिक एवं समन्यवनपूर्ण दृष्टिकोण से नवीन कार्य प्रणालियों को अपनाना जिससे पुलिस अकादमी को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ढाला जा सके, श्रेष्ठ कार्य परिवेश एवं गतिमान कार्य संस्कृति को अपनाना, सरल, व्यवस्थित, सुघड़ तौर–तरीको से युक्त नवीन कार्यप्रणाली को अपनाना आदि पुलिस अकादमी में इस कार्य को प्रारम्भ करने मुख्य लक्ष्य थे।

कार्य के मुख्य चरण एवं रणनीति

नवम्बर 2011 में कैमटेक ऐसोशिएसन प्राइवेट लिमिटेड की सहायता से अकादमी में गुणवत्ता पूर्ण प्रबन्धन व्यवस्था (Quality management system) की स्थापना के लिए विविध अनुभागों के लिए स्टेण्डर्ड ऑपरेटिग प्रोसिजर्स (Standerd opreting procedures) निर्मित एवं लागू करने का कार्य शुरू किया गया। उससे पूर्व जून 2011 में अकादमी के स्तर पर प्रारम्भिक प्रयास भी किये गये थे। दिनांक 14.11.2011 को निदेशक आर.पी.ए.एवं उप निदेशक एवं प्राचार्य, समस्त सहायक निदेशकों, शाखा प्रभारियों की सामूहिक बैठक में अकादमी के लिए गुणवत्ता नीति (क्वालिटी पॉलिसी) एवं गुणवत्ता उद्देश्यों (क्वालिटी ऑब्जेविक्टव्स) का निर्धारण कर विधिवत् कार्य प्रारम्भ किया गया।

इन गुणवत्ता उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विविध अनुभागों में एस. ओ. पी. का कार्य दो चरणों नवम्बर 2011 से मार्च 2011 तक एवं अप्रैल 2011 से जुलाई 2011 तक सम्पन्न हुआ। इस दौरान जागरूकता के लिए प्रशिक्षण, दस्तावेजीकरण एवं नवीन कार्य प्रक्रिया को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाये गए जिनमें ये तीन मुख्य कार्य किये गये। इसके तहत किये गये विविध कार्यों में शामिल थे – 39 अनुभागों में व्यक्तिगत एवं समूहवार जागरूकता प्रशिक्षणों का आयोजन, अनुभागों के क्वालिटी मैन्युअल, कार्य प्रक्रियाएँ, गुणवत्ता योजनाएँ एवं एस.ओ.पी.लिखित रूप में निर्मित करवाना, विविध फारमेट्स लिस्ट ऑफ रिकॉर्डस तैयार करना, एस.ओ.पी. की कन्ट्रोल कॉपी जारी करना, निर्धारित की गयी तिथि पर ऑडिट के उपरान्त नॉन कन्फर्मटीज (N-C) जारी करना, 14 आन्तरिक ऑडिटर्स को प्रशिक्षण एवं उनके द्वारा विविध अनुभागों की ऑडिट, स्टोर एवं जनरल अनुभाग आदि को मॉडल अनुभाग बनाने के लिए मैन्टेनेंस कैम्पों का आयोजन, अनुभागों के कार्यों की वर्कलिस्ट एवं चैक लिस्ट तथा उपकरणों के प्रयोग के निर्देश दृष्ट्व्य स्थान पर लगवाना, मशीनों– उपकरणों के

प्रयोग व रख रखाव के 14 बिन्दुओं का प्रपत्र जारी करना, कार्यो में सुविधा एवं दोहराव रोकने हेतु फाइल ट्रेसिंग हेतु अनुभागों में रजिस्टर की व्यवस्था, कम राशि की खरीद के लिए मांग पत्र के रूप में इन्डेन्ट प्रपत्र तैयार करना, सभी अनुभागों में एकरूपता हेतु उनके नाम एक जैसे लिखवाने की व्यवस्था, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए सम्बन्धित सहायक निदेशकों को ऑब्जेक्टिव एक्शन प्लान एवं अनुभाग प्रभारियों को कार्य योजना तैयार करने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाना आदि शामिल थे।

अकादमी द्वारा अपने लिए तय किये गये गुणवत्ता उद्देश्यों में से एक परिसर के रखरखाव एवं साफ सफाई को एस.ओ.पी. का कार्य प्रारम्भ करने के 2.85 के स्तर को आगामी 6 माह में 3.25 के स्तर तक अर्जित करना था इसके लिए विविध अनुभागों में पाँच S (Sorting, Set in order, Sweeping, Standardise, Sustain) अर्थात् छँटनी, व्यवस्थित करना, सफाई, मानक तय करना एवं उसे प्रतिदिन के कार्य में बनाये रखना, को सुनिश्चित किया गया। विविध अनुभागों ने एस.ओ. पी. कार्य से पूर्व एवं कार्य होने के पश्चात् स्वयं के अनुभाग को 0 से 5 तक के मानक स्तर पर अंकित किया गया।

निरीक्षण से प्रोत्साहन एवं सुझाव

एस.ओ.पी. के कार्य को गतिमान बनाने का सबसे महत्त्वपूर्ण एवं उत्प्रेरक चरण विविध अनुभागों में श्री भूपेन्द्र सिंह ए.डी.जी.पी. एवं निदेशक आर.पी.ए. एवं उपनिदेशक द्वारा समय–समय पर किया गया निरीक्षण था। सकारात्मक एवं प्रोत्साहनकारी माहौल में किए गये इन निरीक्षणों से अनेक नीतिगत निर्णय निरीक्षण के दौरान ही लिए गये। इन निरीक्षणों का उद्देश्य दरअसल अनुभागों में शीर्ष प्रबन्धन द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रह कर संवेदनशील तरीके से सीधा संवाद करना, मौजूदा समस्याओं पर तुरन्त निर्णय लेकर कर्मचारियों की सहायता करना था।

स्टोर (22.01.2012), जनरल अनुभाग, संस्थापन अनुभाग एवं कम्प्यूटर अनुभाग (21.05.2012), ट्रेनिंग अनुभाग, लेखा अनुभाग एवं सर्विस कोत (11.05.2012) ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल रिसाला (31.05.2012), हॉस्पिटल, नर्सरी (13.06.2012) एडम ब्लॉक, पुस्तकालय, एम. टी.ट्रेडमैन शॉप (07.07.2012), आर. आई. कार्यालय, शहीद स्मारक एवं गार्डरूम (26.10.2012) आदि अनुभागों का निरीक्षण किया गया।

बदलाव की चुनौतियाँ एवं प्रेरणा के तत्व

राजस्थान पुलिस अकादमी के विशाल परिसर में स्थित 39 अनुभागों में नवीन परिवर्तन के लिए अनुभागों को प्रशिक्षण द्वारा मानसिक रूप से तैयार करने एवं प्रोसीजर्स के निर्माण के दौरान कुछ समस्याएँ सामने आयी जैसे–प्रोसीजर्स में अनेक कॉलम खाली छोड़ देना, दो पदाधिकारियों का कार्य विवरण एक सा दर्शाना, अधीनस्थ कर्मचारियों के नाम एक जगह अंकित करना, रिकार्ड संधारण हेतु उपलब्ध फॉरमेट में लिस्ट ऑफ रिकार्ड एवं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स तैयार न करना जैसी समस्याएँ मौजूद थी। इन चुनौतियों के बावजूद इस सम्पूर्ण अवधि में प्रेरणा के ऐसे तत्व भी आये जिसने इस कार्य को पूरा करने का हौसला दिया। जिन–जिन अनुभागों में समय के साथ एन. सी. दूर होती गयी, वहाँ कार्य संस्कृति में सुधार हुआ। एस. ओ.पी. से क्या होगा? हमारा काम बढ़ जायेगा?– जैसे संशय दूर हुए। इस कार्य के दौरान कुछ अनुभागों में 'ऐसा नहीं हो सकता' के दृष्टिकोण का परिवर्तन जब 'हमारे अनुभाग ने यह कार्य कर दिखाया' में हुआ तो यह तब्दीली एक सुखद अनुभव था। निरीक्षण से पूर्व अनुभागों में सामूहिक तैयारी के उत्साह ने यथास्थिति और उदासीनता की जगह कार्य परिवेश से जुड़ाव को कायम किया। इससे अनुभाग न केवल रोजमर्रा की समस्याओं का एक स्तर तक समाधान कर पाए है बल्कि रूके हुए बकाया निर्णय लेना भी प्रारम्भ हुआ है।

इस गुणवत्ता प्रबंधन सुधार के कार्य में पुलिस अकादमी के विविध अनुभागों में दोनों तरह के दृष्टिकोण–अच्छा और उदासीन मिले। लेकिन संतोष का विषय यह था कि जैसे–जैसे कामकाज में सुधार का महत्त्व समझ में आने लगा वैसे–वैसे बदलाव की तस्वीरें भी सामने आने लगी। विविध अनुभागों जिसमे प्रशासकीय भवन, इन्डोर आउटडोर प्रशिक्षण से सम्बन्धित परिसर, ऑडिटोरियम, शहीद स्मारक, विविध छात्रावासों आदि में रखरखाव की स्थितियों को बेहतरीन बनाने के लिए तय मानकों पर कार्य किया गया। बदलाव का जोश जिनमें था उनकी कार्य स्थितियों में ही नहीं बल्कि पूरे नज़रिये में बदलाव आया। अनेक अनुभागों एवं कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों द्वारा रचनात्मक सुझावों और अपने स्तर पर की गयी सामूहिक पहल से इस कार्य को सक्रिय बनाया।

पहले

बाद में

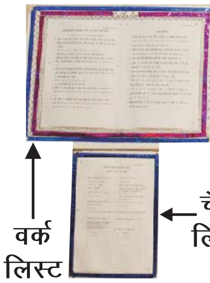

वर्क लिस्ट

चैक लिस्ट

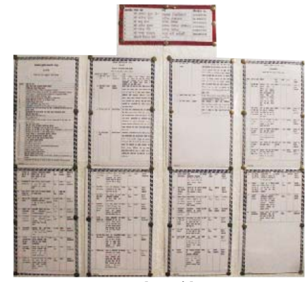

कार्यनिर्देश

मार्गदर्शन – सीधा संवाद – सुझाव

नव स्थापित अग्निशमन यंत्र

एस.ओ.पी. सचिवालय में विमर्श एवं प्रशिक्षण

अपना काम–अपने हाथ

5 S के अनुसार व्यवस्था

उपकरणों का सही प्रयोग

व्यवस्थित रिकार्ड

अंकित दस्तावेज

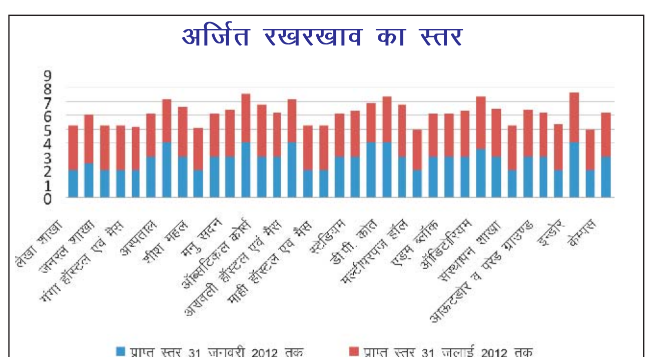

अव्यवस्थित तरीके से – व्यवस्थित तरीके तक

प्रयासों की सीख

राजस्थान पुलिस अकादमी में कार्य सुधार के इन प्रयासों के अनुभवों से यह सामने आया कि परिवर्तन या बदलाव परिश्रम से किया जाने वाला कार्य है। कार्य संस्कृति और कार्य स्थल की दशाओं में बदलाव लाने के लिए आधार से शीर्ष तक सकारात्मक बने रहते हुए कार्य करना आवश्यक है। निःसन्देह गुणवत्ता स्थापित करने के लिए किये यह प्रयास अनावश्यक कार्य, कागज की कार्यवाही, बोझिल कार्य अथवा जादू की छड़ी नहीं था बल्कि अनुभव यह हुआ है कि क्वालिटी मैनेजमेन्ट सिस्टम को बुद्विमत्ता से लागू कर अपने संस्था को दक्ष व्यवस्थित व संगठित बनाया जा सकता है।

कार्य प्रबन्धन के कुछ सबक हमें मिले हैं जैसे–पुरानी और गलत आदतों से छुटकारा पायें, अनियोजित अव्यस्थित कामकाज को सुलझाए, सूझ–बूझ के तौर–तरीके अपनायें, अपने उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करें, आवश्यक कार्यों को अति आवश्यक होने से पूर्व ही करें साझी जिम्मेदारी लें और सबसे बढ़कर काम–काज के आधारभूत निर्णय तुरन्त लें।

भविष्य की रणनीति :–

प्रत्येक अनुभाग 5 एस अर्थात् छंटनी, व्यवस्था, साफ–सफाई, तय मानक एवं हर दिन के कार्य की निश्चित शैली का पालन करें/ अपने अनुभाग की बनाई गई एसओपी के अनुसार ही कार्य करें/फाईलो पर ट्रेसिंग, वर्क लिस्ट में अंकित रेस्पोन्स टाइप के अनुसार कार्य का निस्तारण करना, वर्क लिस्ट एवं चैक लिस्ट दृष्ट्व्य स्थान पर लगाया जाना/मशीनों के उपकरण एवं रख–रखाव के नियत किए गए नियमों का पालन करें/नियमित रूप से मैन्टीनेन्स कैम्पों का आयोजन कर अपने अनुभागों में व्यवस्थित रहने, बकाया कार्यों एवं नकारा सामान की नीलामी के कार्यों के निस्तारण की व्यवस्था की जाए/सारी प्रक्रिया अपने आप हो। स्वः अनुशासन एवं सुधारात्मक कार्य संस्कृति की आदत से कार्य पूरे किए जाये/अकादमी में रख–रखाव के लिए स्थाई मैन्टीनेन्स अनुभाग स्थाई रूप से कार्य करे तथा बड़े निर्माण के कार्यों के लिए निरन्तर पूर्व आकलन से निर्णय लिए जाए /'इन ट्रे ' में फाइलों का कम ढेर हो, योजनाओं के सम्बन्ध में आधार स्तर पर निरन्तर चर्चा कर रणनीति बनाई जाए।/मानव श्रम को कम करने लिए विविध अनुभागों में डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाये तथा लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एवं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेन्ट्स निरन्तर अद्यतन किया जाए/अकादमी के विविध अनुभागो में रिकॉर्ड कीपिंग (दस्तावेजों के संधारण) की एक साथ व्यवस्था हो। सहभागिता, रूचि एवं निरन्तर सुधार का जज्बा बना रहे।

जहाँ चाह वहाँ राह

गुणवत्ता प्रबंधन सुधार के इस कार्य में पुलिस अकादमी के विविध अनुभागों में सिपाही से लेकर शीर्ष स्तर तक के प्रबन्धन ने विविध अनुभागों में सभी ने मिल–जुल कर काम किया। गुणवत्ता पूर्ण कार्यो के प्रबन्धन की व्यवस्था को अपनाने के लिए किए गये गये उक्त सभी प्रयासों ने अकादमी का कायाकल्प किया है या नहीं–इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। लेकिन यह सच है कि इससे सुविधायें बढ़ी है, दुविधायें कम हुई हैं। परिवर्तन या बदलाव के ये प्रयास एक अहम् सच्चाई को बयान करते है कि–आप बदल सकते है। स्थितियाँ बदल सकती है। इसके लिये नीरसता से जोश तक और उदासीनता से रोमांचक बदलाव की आवश्यकता होती है।

आज यह प्रतीत होता है कि गुणवत्तापूर्ण कार्य प्रणाली के तरीकों को सीखा जा सकता है। इसे सीखना मुश्किल कार्य नहीं है। इसे तब तक सीखना होगा जब तक हम इसमें माहिर न हो जाए और यह हमारी आदत न बन जाए। हम सोच बदलें, कार्यशैली बदलें और अपने आकलन और आत्म सुधार का साहस बनाए रखें।

कही : अनकही

"अगली बार कोई एन.सी. नहीं निकाल पाएंगे। हमारा काम सबसे अच्छा और नियमों के अनुसार मिलेगा।" – **बनवारी लाल, कानि0 माही एवं बनास, हॉस्टल इंचार्ज।**

"इस बदलाव से हमें लाभ तो हुआ है। फाइले, रिकॉर्ड अब ज्यादा व्यवस्थित रहता है।" – **सुशील पारीक, सैक्शन इंचार्ज जनरल अनुभाग।**

"क्वालिटी प्रोसीजर्स को पूरा पढ़कर ही लाभ उठाया जा सकता है।" – **विनोद शर्मा, एस.आई., एस.ओ.पी. सहायक।**

"पूर्णतः एवं व्यावहारिक रूप से लागू करके एवं कार्य सुधार को आदत बनाकर इसे शतप्रतिशत लागू किया जा सकता है।" – **ज्ञानचन्द्र यादव, सहायक निदेशक आउटडोर एवं एम.आर.एस.ओ.पी.।**

भ्रष्टाचार और लोक चरित्र

देश में भ्रष्टाचार पर चर्चा दफ्तर से लेकर गली व नुक्कड़ पर सभी जगह सुनी जा सकती है। विगत दो–तीन वर्षों से मजबूत लोकपाल के लिए जन आन्दोलन हुये हैं। अनेक जगह मजबूत लोकपाल के लिए झण्डे लेकर ओर टोपी लगाकर लोगों ने प्रदर्शन किये। भ्रष्टाचार के लिए नये कानून की मांग पर लोगों को उद्वेलित होता देखकर लहरें गिनने की कहावत याद आ गई। एक बार एक भ्रष्ट नौकरशाह को राजा ने सजा देने के लिए उसे समुद्र की लहरें गिनने के लिए लगा दिया। लहरें गिनते हुए भी उसके दिमाग में धन अर्जन की प्रबल कामना थी। उसने दूर से आते हुए व्यापारिक जहाज को यह कहकर समुद्र के किनारे आने से रोक दिया कि जहाज के आने से समुद्र की लहरें खराब हो जायेंगी और राजा के आदेश की अवहेलना होगी। उसने जहाज को तब तक रोके रखा जब तक उसके पास रिश्वत की राशि नहीं पहुँच गई। इसी प्रकार लोगों से बात करते हुए तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में कार्य करते हुए भ्रष्टाचार के पक्ष में अनेक तर्क सुनने को मिले, जिसकी थोड़ी सी बानगी ही लोगों में भ्रष्टाचार की लालसा को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। एक युवक का तर्क था कि भ्रष्टाचार देश के विकास के लिए आवश्यक है। देश में भ्रष्टाचार नहीं होता या बड़ी–बड़ी इमारतें नहीं होती तो विकसित देश हमें ऋण ही नहीं देते। दूसरी तरफ एक इंजीनियर का कहना था कि हम लोग धूप एवं बारिश की परवाह किये बिना मुश्किल हालात में काम करते हैं। अगर थोड़ा सा पैसा बना भी लिया तो कौनसा स्विस बैंक में जमा करवाने जाते हैं। देश का पैसा देश में ही है। एक अन्य मामले में जब रीको के वरीष्ठ अभियन्ता से बात हो रही थी तो उसने कहा कि इंजीनियरिंग की डिग्री बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है।

अनेक तर्क–वितर्क भ्रष्टाचार के पक्ष और विपक्ष में दिये जाते रहे हैं। कुछ अधिकारी अपने भ्रष्टाचार को आदर्श की चाशनी में डुबोकर पेश करते हैं। कुछ कहते हैं कि मैं तो जबरदस्ती नहीं करता। कोई देता है तो ले लेता हूँ। कुछ कहते हैं मैं अमुक व्यक्ति से कम भ्रष्टाचार करता हूँ। कई दूसरो की अर्जित सम्पतियां गिनाने लगते हैं तो कई भ्रष्टाचार के लिए दूसरों द्वारा अपनाये गये निष्ठुर तरीकों का बखान कर स्वयं को निर्मल भ्रष्ट साबित करने का प्रयास करते हैं। इन तथ्यों के साथ एक बात सच है कि देश में भ्रष्टाचार सभी जगह फैला हुआ है और विकास को लील रहा है। एक अनुमान के अनुसार देश में वैध और अवैध सम्पति का अनुपात 60:40 का है। आने वाले समय में भ्रष्टाचार बढ़ने की प्रबल संभावना है क्योंकि देश में सामाजिक मूल्यों में निरन्तर गिरावट आ रही है।

भ्रष्टाचार के प्रमुख कारणों में जो तर्क सुने उनमें मुख्य कारण अपने परिवार को अन्य लोगों से अहम् मानना है। हम देशवासियों को सहनागरिक के रुप में देखें तो भी भ्रष्टाचार कम हो सकता है। आज अवैध अर्जित सम्पति पर लोगों में शर्मिंदगी के बजाय अहंकार का बोध दिखाई देता है। भ्रष्टाचार अब कुछ लोगों में पुरूषार्थ का पर्याय बनता जा रहा है। इस स्थिति में कठोर कानून से भ्रष्टाचार दूर करना एक सपने की तरह लगता है। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। सबसे पहले लोगों की सोच बदलने की आवश्यकता है। लोकपाल के लिए हुए प्रदर्शनों में सभी लोग ईमानदार थे, इस पर भी शक है। भ्रष्टाचार का मुद्दा कानूनी होने से भी ज्यादा चारित्रिक है।

आज भी देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पर्याप्त कानून हैं। भारतीय दण्ड संहिता, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, मनी लोड्रिंग एक्ट, दा अनलॉफुल एसेम्बली एक्ट, इन्कम टेक्स एक्ट और अन्य कानून भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए बने हुये हैं। इन कानूनों को लागू करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, राज्यों के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चीफ विजीलेन्स कमीशन, डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवेन्यू इन्टेलीजेन्स, राज्यों के विजीलेन्स कमीशन एवं विभिन्न विभागों की विजीलेन्स शाखायें, इनकम टेक्स विभाग, इन्फोर्समेन्ट डायरेक्ट्रेट एवं दूसरे अनेक विभाग हैं, जिनके पास भ्रष्टाचार रोकने या भ्रष्टाचार से अर्जित सम्पति को जब्त करने एवं अवैध तरीके से धन अर्जन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के अधिकार हैं। एक और कानून बनने के बाद भी अगर लहरें गिनने वाले शख्स जैसा कोई व्यक्ति कानून को लागू करने वाला होगा तो नये कानून का हश्र भी पुराने कानूनों जैसा ही होगा। आज आवश्यकता लोकाचार बदलने की है, पुरानी प्रेरक कथाऐं और प्रसंग भी समाज में व्याप्त ढ़ोंग एवं बेईमानी के कारण अपना प्रभाव छोड़ने में विफल हो रहे हैं। एक आन्दोलन चरित्र बदलने के लिए भी चलाया जाना चाहिये। चरित्र निर्माण ऐसा होना चाहिए, जिसमें लोग भ्रष्टाचार को मन से नकार सकें।

जगदीश पूनियाँ, आरपीएस

एनडीपीएस एक्ट 1985 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को दो भागों में बांटा जा सकता है :–

1. प्रक्रियागत प्रावधान
2. अपराध व दण्ड संबंधी प्रावधान

प्रक्रियागत प्रावधान

एनडीपीएस एक्ट के तहत सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान प्रक्रियागत प्रावधान है। इन्हीं महत्वपूर्ण प्रावधानों की पालना करने से मुल्जिम को सजा दिलाई जा सकती है तथा इन प्रावधानों की पालना नहीं होने से मुल्जिम को फायदा मिलने की पूर्ण संभावना रहती है। अतः इन प्रक्रियागत प्रावधानों की जानकारी होना तथा इनकी नियमानुसार पालना किया जाना नितान्त आवश्यक है। महत्वपूर्ण प्रक्रियागत प्रावधान इस प्रकार है :–

धारा 41 एनडीपीएस एक्ट :– जब किसी पुलिस अधिकारी को किसी मकान, भवन या किसी बन्द स्थान पर कोई मादक पदार्थ होने की सूचना प्राप्त होती है तो ऐसा पुलिस अधिकारी किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक से उस स्थान की तलाशी लेने हेतु वारण्ट जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा तथा प्रार्थना पत्र में तलाशी लिये जाने के कारणों को अंकित करेगा। पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर उक्त प्राधिकारी किसी भी पुलिस अधिकारी को तलाशी वारण्ट जारी कर तलाशी लेने हेतु प्राधिकृत कर सकते है।

धारा 42 एनडीपीएस एक्ट :– यदि पुलिस अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि वारण्ट लिये जाने में विलम्ब हो सकता है तथा मादक पदार्थ खुर्द बुर्द किये जाने की संभावना है तो कारण प्रदर्शित करते हुए बिना वारंट तलाशी ले सकता है। ऐसे स्थान की तलाशी में कोई मादक पदार्थ बरामद होते हैं तो वह पुलिस अधिकारी उन्हे नियमानुसार अभिग्रहित कर सकेगा। ऐसे स्थान की तलाशी के दौरान कोई व्यक्ति पाया जाए जिसके कब्जे में उक्त मादक पदार्थ होना पाया गया है, उसे गिरफ्तार कर सकेगा।

धारा 43 एनडीपीएस एक्ट :– धारा 43 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी किसी लोक स्थान में ऐसे किसी व्यक्ति को डिटेन कर तलाशी ले सकता है जिसके पास मादक पदार्थ होने की सूचना हो। यदि उस व्यक्ति के पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ मिलता है तो वह उस मादक पदार्थ को नियमानुसार अपने कब्जे में लेकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है।

धारा 42 (2) एनडीपीएस एक्ट :– जब किसी थानाधिकारी को अवैध मादक पदार्थो के बारे में सूचना मिलती है तो वह प्राप्त सूचना को रोजानामचा में अंकित करेगा तथा प्राप्त सूचना की प्रति अपने अव्यवहित उच्च अधिकारी को भेजेगा। यह सूचना 72 घण्टे में भिजवाई जानी चाहिए। यदि सूचना थाने से बाहर मिलती है तो थानाधिकारी उस सूचना को एक कागज पर लिखेगा तथा उसकी प्रति नियमानुसार भेजेगा। सूचना 72 घण्टे में भेजी जा सकती है, किन्तु प्रकरण की सफलता के लिए यह सूचना तुरन्त विशेष वाहक द्वारा भिजवाई जानी चाहिए। सूचना लेकर जाने वाले विशेष वाहक की रोजनामचा में रवानगी करनी चाहिए। भेजी जाने वाली सूचना पर डिस्पेच नम्बर अंकित कर डिस्पेच रजिस्टर में प्रविष्टि कर पत्र वाहक के हस्ताक्षर करवाने चाहिए। जब पत्रवाहक पत्र देकर वापस आये तो रोजनामचा में वापसी कर संपूर्ण हालात अंकित करने चाहिए। सूचना ले जाने वाले विशेष वाहक को गवाह सूची में रखना चाहिए। प्राप्ति रसीद को भी पत्रावली पर रखना चाहिए।

धारा 50 एनडीपीएस एक्ट :– जब किसी व्यक्ति को मादक पदार्थ की सूचना पर डिटेन किया जाता है तो इस धारा के तहत उस व्यक्ति को तलाशी लेने वाला अधिकारी तुरन्त किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के पास ले जावेगा या मजिस्टेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष उस व्यक्ति की तलाशी लेगा। जब तक कोई मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी मौके पर उपस्थित नहीं होता है या उस व्यक्ति को किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के पास नहीं ले जाया जाता उस व्यक्ति को तब तक डिटेन रखा जा सकता है। इस धारा के तहत किसी स्त्री की तलाशी केवल महिला के द्वारा ही ली जावेगी। यदि किसी कारण से डिटेनशुदा व्यक्ति को किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के पास नहीं ले जाया जा सकता या कोई मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो तलाशी लेने वाला अधिकारी उस व्यक्ति को धारा 50 का नोटिस देकर स्वयं तलाशी ले सकता है तथा उक्त कारणों की सूचना 72 घण्टे के अन्दर अपने उच्चाधिकारियों को देगा। यह धारा केवल किसी व्यक्ति की जामा तलाशी में ही लागू होती है।

किसी मकान, वाहन आदि की तलाशी में धारा 50 के प्रावधान लागू नहीं होतें है। यदि आकस्मिक चैकिंग के दौरान कोई मादक पदार्थ बरामद होते हैं तो धारा 50 के प्रावधान लागू नहीं होते है अर्थात् यदि किसी पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति के पास मादक पदार्थ होने की पूर्व सूचना है तो ही उस व्यक्ति की तलाशी के संबंध में ये प्रावधान लागू होंगे। यदि मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी रेड पार्टी का सदस्य है तो उसके समक्ष ली गई तलाशी इस धारा की अनुपालना नहीं मानी जावेगी। यदि व्यक्ति की तलाशी इस धारा के तहत ली गई है और धारा 50 का नोटिस लिखित में दिया गया है तो वक्त गिरफ्तारी धारा 50 नोटिस की प्रति उस व्यक्ति की जामा तलाशी में मिलना एक अच्छी साक्ष्य होगी। धारा 50 का नोटिस दो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में दिया जाना चाहिए।

धारा 55 एनडीपीएस एक्ट :– जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के तहत कोई मादक पदार्थ जब्त किये जाते हैं तो वह पुलिस अधिकारी जब्तशुदा मादक पदार्थों को इस धारा के तहत पुलिस थाने में सुरक्षित रखवाएगा। इस प्रक्रिया के तहत जब्त करने वाले अधिकारी द्वारा थाने के मालखाना प्रभारी को लिखित में एक नोटिस देगा जिस पर जब्त की गई समस्त वस्तुओं का विवरण अंकित होगा। मालखाना प्रभारी जब्तशुदा मादक पदार्थों को थाने की सील से पुनः सील मोहर कर मालखाना रजिस्टर में उसकी प्रविष्टी कर माल को सुरक्षित रखेगा। जब माल को पुनः सील किया जावेगा तो उसकी एक फर्द पृथक से बनाई जावेगी तथा उस समय जिस अधिकारी के पास थाने का चार्ज है वह उस फर्द पर अपने हस्ताक्षर करेगा। साथ ही पुनः सील की कार्यवाही पर भी अपने हस्ताक्षर करेगा। जब्त करने वाले अधिकारी द्वारा मालखाना प्रभारी को जो नोटिस दिया जावेगा उस पर मालखाना प्रभारी द्वारा मालखाना रजिस्टर में की गई प्रविष्टि का क्रमांक अंकित करेगा तथा अपनी रिपोर्ट उस नोटिस पर लिखेगा। मालखाना से नमूना सेम्पल 48 घण्टे के अन्दर रासायनिक परीक्षण हेतु एफएसएल भेजे जाने चाहिए। मालखाना रजिस्टर में माल रासायनिक परीक्षण हेतु एफएसएल भेजे जाने व माल जमा करवाकर वाहक के वापस आने की प्रविष्टी करने सहित संपूर्ण प्रविष्टियां करने के पश्चात् मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि को शामिल फाईल किया जाना चाहिए। मालखाना प्रभारी तथा माल जमा कराने वाले वाहक को गवाह सूची में अवश्य रखना चाहिए।

धारा 57 एनडीपीएस एक्ट :– जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तथा उसके कब्जे से मादक पदार्थ जब्त करता है तो वह संपूर्ण कार्यवाही की सूचना 48 घण्टे में अपने अव्यवहित अधिकारी को भेजेगा। सूचना लेकर जाने वाले विशेष वाहक की रोजनामचा में रवानगी करनी चाहिए। भेजी जाने वाली सूचना पर डिस्पेच नम्बर अंकित कर डिस्पेच रजिस्टर में प्रविष्टि कर पत्र वाहक के हस्ताक्षर करवाने चाहिए। जब पत्रवाहक पत्र देकर वापस आये तो रोजनामचा में वापसी कर संपूर्ण हालात अंकित करने चाहिए। सूचना ले जाने वाले विशेष वाहक को गवाह सूची में रखना चाहिए। प्राप्ति रसीद को भी पत्रावली पर रखना चाहिए।

अपराध व दण्ड संबंधी प्रावधान

एनडीपीएस एक्ट में अपराध व दण्ड संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। सन् 2001 में एनडीपीएस एक्ट में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए जिसमें मादक पदार्थों को तीन श्रेणियों में बाँटा गया :–

1. अल्प मात्रा
2. अल्प मात्रा व वाणिज्यिक मात्रा के मध्य की मात्रा (मध्यम मात्रा)
3. वाणिज्यिक मात्रा

नये संशोधनों के तहत धारा 36 (a) एनडीपीएस एक्ट के तहत अल्प मात्रा से संबंधित मामलों का विचारण किसी भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। धारा 36 एनडीपीएस एक्ट के तहत गठित विशेष न्यायालय द्वारा मध्यम मात्रा तथा वाणिज्यिक मात्रा के मामलों का विचारण किया जावेगा। धारा 36 (a) (4) के तहत अल्प मात्रा तथा मध्यम मात्रा के अपराधों के अपराधों के लिए अनुसंधान पूर्ण करने की अवधि 60 दिन होगी। वाणिज्यिक मात्रा के अपराध तथा धारा 19, 24 तथा 27 (a) के अपराधों के लिए यह अवधि 180 दिन की होगी तथा यह अवधि कारण प्रदर्शित करते हुए एक साल तक के लिए बढाई जा सकती है। अपराध एवं दण्ड संबंधी प्रावधानों के संबंध में कुछ चार्ट दिए गए है जिनसे स्थिति स्पष्ट होती है। कुछ महत्वपूर्ण चार्ट इस प्रकार है :–

मात्रात्मक चार्ट

चार्ट – I

मादक पदार्थ / मात्रा	अल्प मात्रा	मध्यम मात्रा	वाणिज्यिक मात्रा
डोडा चूरा	1 किलोग्राम	1 किलोग्राम से 50 कि.ग्रा. तक	50 कि.ग्रा.
अफीम	25 ग्राम	25 ग्राम से 2.5 कि.ग्रा. तक	2.5 कि.ग्रा.
चरस / हशीश	100 ग्राम	100 ग्राम से 1 कि.ग्रा. तक	1 कि.ग्रा.
गांजा	1 किलोग्राम	1 किलोग्राम से 20 कि.ग्रा. तक	20 कि.ग्रा.
गांजा	1 किलोग्राम	1 किलोग्राम से 20 कि.ग्रा. तक	20 कि.ग्रा.

वाणिज्यिक मात्रा के संबंध में विशेष प्रावधान

↓

सजा 10 से 20 वर्ष तक तथा जुर्माना 1 से 2 लाख रू. या दोनों जुर्माना 2 लाख से अधिक हो सकता है।

↓

अनुसंधान पूर्ण करने की अवधि 180 दिन जो 1 वर्ष तक हो सकती है।

↓

खेतिहर / किसान द्वारा अफीम का गबन (19)ए मादक पदार्थों का भारत से बाहर आयात निर्यात (24) तथा मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के लिए वित्तिय सहायता उपलब्ध कराना या वित्त पोषण करना भी वाणिज्यिक मात्रा का अपराध माना जावेगा।

मात्रात्मक चार्ट

चार्ट – II

तथ्य / मात्रा	अल्प मात्रा	मध्यम मात्रा	वाणिज्यिक मात्रा
न्यायालय द्वारा विचारण	प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट	विशिष्ट न्याया.	विशिष्ट न्याया.
अनुसंधान पूर्ण करने की अवधि	60 दिन	90 दिन	180 दिन जो 1 साल तक हो सकता है।
सजा	6 माह का कारावास 10 हजार रू. जुर्माना या दोनों	10 वर्ष तक का कारावास तथा 1 लाख रू. तक जुर्माना या दोनों	10 से 20 वर्ष तक का कारावास 1 से 2 लाख रू. तक जुर्माना (अधिक भी हो सकता है) या दोनों

धारा 50-NDPS Act का लागू होना / नहीं होना

लागू होना

1. किसी व्यक्ति की तलाशी हेतु पूर्व सूचना होने पर
2. व्यक्तिगत तलाशी हेतु 50 NDPS Act के तहत option दिया जाना जरूरी है। G.O./ मजि. के समक्ष स्वयं की तलाशी का
3. जब तक किसी मजिस्ट्रेट या G.O. के समक्ष पेश नहीं किया जाता या उनके समक्ष तलाशी नहीं ली जाती तब तक डिटेन किया जावेगा। (50(2))
4. स्त्री की तलाशी स्त्री द्वारा लिया जाना (50(4))
5. यदि किसी कारण से डिटेनशुदा व्यक्ति को किसी G.O. / मजि. के पास नहीं ले जाया जा सकता या G.O. / मजि. के उपलब्ध नहीं है तो 50 का नोटिस देकर स्वयं तलाशी ले सकता है। (50(5))
6. (50(5)) के तहत ली गई तलाशी के कारणों की सूचना उच्चाधिकारी को 72 घण्टे में भेजना (50(6))

लागू नहीं होना

1. यदि कोई पूर्व सूचना नहीं है और आकस्मिक चैंकिंग में किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी ली जाती है तो 50 की पालना आवश्यक नहीं है।
2. इस धारा की पालना किसी मकान, वाहन इत्यादि की तलाशी में किया जाना आवश्यक नहीं है।

इस एक्ट के तहत समाज के उन लोगो के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है जो युवा वर्ग को ड्रग्स के दलदल में धकेल कर उन्हें बर्बाद करने पर तुले हुए है। ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। एक्ट के प्रावधानों की पालना सही तरीके से करने से समाज को नशे की बुराई से मुक्त रखा जा सकता है।

धीरज वर्मा, उप निरीक्षक

स्वाधीनता दिवस पर सर्वोत्तम सेवा चिन्ह, अति उत्तम सेवा चिन्ह और उत्तम सेवा चिन्ह प्राप्त कर्मी तथा अकादमी स्तर पर श्रेष्ठ कार्य के लिए सम्मानित कर्मचारी अकादमी अधिकारियों के साथ

Editorial Board

Editor in Chief
Bhupendra Singh, IPS, Director
Editor
Jagdish Poonia, RPS

Members
Deepak Bhargava (AD), Dr. Rameshwar Singh (AD), Alok Srivastav (AD), Gyan Chandra (AD), Kamal Shekhawat (AD)

Photographs By Sagar

Rajasthan Police Academy
Nehru Nagar, Jaipur (Rajasthan) India
Ph.: +91-141-2302131, 2303222, Fax : 0141-2301878
E-mail : policeresearchrpa@yahoo.com Web : www.rpa.rajasthan.gov.in

Printed at : Shiva Offset, Jaipur # 0141-2365721